**भारत सरकार**

**कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय**

**कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्‍याण विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 1785**

**06 मार्च, 2020 को उत्‍तरार्थ**

**विषय: महाराष्ट्र में कीटनाशकों के छिड़काव के कारण किसानों की मौतें**

**1785. श्री हुसैन दलवईः**

**क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) पांच कीटनाशकों यथा प्रोफेनोफॉस 40% + साइपरमेथ्रिन 4% ईसी, फिप्रोनिल 40% +इमाडाक्लोप्रिड 40% ईसी, एस्फेट 75% एसपी, डाइफेंथिरॉन 50% डब्ल्यूपी, मोनोक्रोटोफॉस 36% एसएल पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रस्ताव, जिसे 2018 में सौंपा गया था, की स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) महाराष्ट्र में वर्ष 2014 से अब तक कपास और सोयाबीन फसलों पर कीटनाशकों का छिड़काव करने के दौरान विष के कारण मरने वाले किसानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी मौतों को रोकने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाईयों का ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण र्हैं; और

(घ) उपरोक्त कीटनाशकों के छिड़काव के दौरान किसानों पर पड़ने वाले नुकसानदायक प्रभावों के संबंध में यदि कोई अध्ययन कराया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्‍तर**

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)**

**(क)** महाराष्ट्र राज्‍य सरकार ने पांच कीटनाशकों अर्थात प्रोफेनोफॉस 40% + साइपरमेथ्रिन 4% ईसी, फ़िप्रोनिल 40% + इमाडाक्लोप्रिड 40% डब्ल्यूजी, एसीफेट 75% एसपी, डाइफेंथिरॉन 50% डब्ल्यूपी और मोनोक्रोटोफ़ॉस 36% एसएल पर रोक लगाए जाने के संबंध में केन्‍द्रीय कीटनाशी बोर्ड के सचिव और पंजीकरण समिति को एक अ.शा. पत्र प्रस्‍तुत किया है। राज्य सरकार को जुलाई 2018 में सूचित किया गया था कि प्रस्‍ताव को कीटनाशक अधिनियम, 1968 की धारा 27 के अंतर्गत अपेक्षित रूप से संगत जांच पड़ताल/अध्ययन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाए।

**(ख)** महाराष्ट्र राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वर्ष 2014-15 के दौरान, 89 किसान; वर्ष 2015-16 के दौरान 47 किसान; वर्ष 2016-17 के दौरान 73 किसान; वर्ष 2017-18 के दौरान 63 किसान, वर्ष 2018-19 के दौरान 16 किसान और वर्ष 2019-20 के दौरान 09 किसान महाराष्ट्र में कीटनाशकों का छिड़काव करते समय विषाक्‍तता के कारण मारे गए।

**(ग)** महाराष्ट्र राज्‍य सरकार ने सूचित किया है कि महाराष्‍ट्र में केवल केंद्रीय कीटनाशी बोर्ड और पंजीकरण समिति द्वारा अनुमोदित लेबल दावा कीटनाशकों के प्रयोग की अनुमति है। कीटनाशकों के सुरक्षित उपयोग के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए प्रत्येक जिले में नोडल कंपनियां नियोजित हैं। किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए कीटनाशकों की सुरक्षित हैंण्‍डलिंग के लिए जागरूकता कार्यक्रम और कार्यकलाप, कार्यशाला, प्रशिक्षणों का आयोजन स्वास्थ्य विभाग और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और अन्य लाइन विभागों के सहयोग से किया जाता है।

**(घ)** उपर्युक्त कीटनाशकों के संबंध में कोई अध्ययन नहीं किए गए हैं। तथापि, महाराष्ट्र राज्य सरकार से संगत जांच पड़ताल/अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

\*\*\*\*